

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

पक्ष

बनाम

जुही कुमारी

प्रथम पक्ष

सलमान जफर

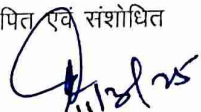
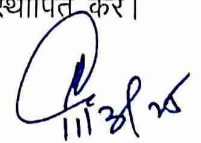
द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० से तक
जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 40 सन् 2025

धारा 163 भा० ना० सु० सं०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
11/3/25	आवेदक जुही कुमारी पति शमीम अजाम साकिन - बगोदर अंचल - बगोदर के द्वारा कहा गया है कि प्रथम पक्ष जुही कुमारी और द्वितीय पक्ष 1. सलमान जफर पिता स्व० अब्दुल हलीम 2. शहबाज खान पिता एजाज खान, साकिन - जरमुने चट्टी पूर्वी, अंचल - बगोदर, थाना बगोदर, जिला गिरिडीह के बीच निम्नलिखित भूमि को लेकर विवाद है। अंचल बगोदर, हल्का नं० II, मौजा जरमुने, थाना बगोदर, थाना नं० 108, <table><tr><th>पेज नं०/ भाग नं०</th><th>खाता नं०</th><th>प्लॉट नं०</th><th>रकबा</th><th>चौहदी</th></tr><tr><td>34/ 16</td><td>13</td><td>2147</td><td>37 डी० मध्ये विवादित रकबा - 8¹/₃ डी०</td><td>चौहदी उ० + द० - लेख्यकारी नीज पू० - गयासुद्दीन अंसारी पं० - सड़क वर्तमान चौहदी उ० - तसलीम अंसारी का मकान द० - गली वो वली आजम का घर वो दुकान पू० - गयासुद्दीन चुडीहारा पं० - सड़क</td></tr></table>	पेज नं०/ भाग नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी	34/ 16	13	2147	37 डी० मध्ये विवादित रकबा - 8 ¹ / ₃ डी०	चौहदी उ० + द० - लेख्यकारी नीज पू० - गयासुद्दीन अंसारी पं० - सड़क वर्तमान चौहदी उ० - तसलीम अंसारी का मकान द० - गली वो वली आजम का घर वो दुकान पू० - गयासुद्दीन चुडीहारा पं० - सड़क	94 11/3/25
पेज नं०/ भाग नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी								
34/ 16	13	2147	37 डी० मध्ये विवादित रकबा - 8 ¹ / ₃ डी०	चौहदी उ० + द० - लेख्यकारी नीज पू० - गयासुद्दीन अंसारी पं० - सड़क वर्तमान चौहदी उ० - तसलीम अंसारी का मकान द० - गली वो वली आजम का घर वो दुकान पू० - गयासुद्दीन चुडीहारा पं० - सड़क								
प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि पर भा० ना० सु० सं० की धारा 163/अन्य के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की माँग की गई है, प्राप्त आवेदन पर अंचल अधिकारी बगोदर तथा थाना प्रभारी बगोदर से मतव्य के साथ दिनांक 20.3.25 तथा जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 20.3.25 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित  अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर - सरिया  अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर - सरिया												

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23/07/25	<u>आदेश</u> <u>वाद सं० 40/25</u> (B.N.S.S. 163) धाना प्रभारी, बगौदर के प्रतिवेदन पर लोक परिशोति भोग होने की प्रबल संभावना को देखते हुए अधोदत्ताशयी के स्थानीय अधिकारिता ११५ अंतर्गत अवस्थित वादग्रस्त भूमि जिसका विवरण निम्नवत है पर दिनांक 28/03/25 की प्रभावी तिथि से भा० ना० सू० सं० की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उक्त पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया। <u>वादग्रस्त भूमि का विवरण</u> मौजा - जरमुने / धाना / अंचल - बगौदर खता नं० 13 प्लॉट नं० 2147 रकबा: 37 डी० मध्ये 8 1/3 डी० नोटिस निर्गत कर उक्त पक्ष से कारण पृच्छा भी की गयी। उक्त पक्ष अधोदत्ताशयी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा तथा लिखित कारण पृच्छा भी दाखिल किया। प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें केवाला से 6996 दिनांक 27-05-1985 से जायी	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	हासिल है तथा उक्त भूमि की जमाब-दी पंजी-II के पृष्ठ सं. 34 मौल्यूम नं० 16 पर कायम है। वही दूसरी और द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें विक्रय बिलौर सं. 2025/DUMR/346/BK1/315 से हासिल है जिसकी तिथि 12/8/25 है। उक्त भूमि की जमाब-दी अंचल कार्यालय जगौदर के मांग पंजी-II के भाग सं. 49 पृष्ठ सं. 15 पर कायम है। उभय पक्ष द्वारा संलग्न राजस्व कागजातों के अध्ययन, उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा का अवलोकन तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष अलग अलग राजस्व दस्तावेजों के जरिए विवादग्रस्त भूमि पर अपना दावा करते हैं। स्पष्टतः उक्त मामला एक - एकीयता (स्वत्व) से संबंधित है। स्वत्व (Title) का विवादास्पद अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः इस मामले में किसी पक्षकार के हित में	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	या विलम्ब कोई आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। प्रभावित पक्ष वाद के निपटारे हेतु सशम न्यायालय में चुक्तिपत्र वाद दाखल कर सकते हैं। उक्त निपटारे तक उभय पक्ष क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे। उक्त आदेश के लागू हो जाने की कार्रवाई समाप्त हो जाने की जाती है। लेखापत्र एवं संशोधित अनुमोल दादाधिकारी, बगोदा-सलिया	अनुमोल दादाधिकारी, बगोदा-सलिया